

रखरखाव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सम्राट अशोक सागर परियोजना, नहरों में उगीं लंबी झाड़ियां, किसानों में आक्रोश

सलामतपुर सहित कई गांवों में फसलों पर मंडराया संकट, किसानों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग

- ▶ सफाई के नाम पर लाखों डकार जाते हैं जिम्मेदार
- ▶ नहर चालू होने से पहले नहीं होता मेंटेनेंस

नवभारत न्यूज सलामतपुर, 22 अक्टूबर. सम्राट अशोक सागर परियोजना के अधिकारियों की घोर लापरवाही और उदासीनता के कारण क्षेत्र की नहरें बदहाली के आंसू बहा रही हैं. परियोजना के जिम्मेदारों द्वारा नहरों की साफ-सफाई और समय पर रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसका नतीजा यह है कि सलामतपुर और इसके आसपास के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों में नहरें झाड़ियों, कचरे और खाड़ियों से पूरी तरह ढट चुकी हैं.

परियोजना की आर-वन नहर जो सलामतपुर, सुआखेड़ी, खामखेड़ा, मेढकी और रतनपुर गांवों से होकर गुजरती है, वहां साफ-सफाई का सबसे बुरा हाल है. नहरों में कचरा जमा होने के कारण जल निकासी बाधित हो रही है. अधिकारियों को इस अनदेखी से आक्रोशित आसपास



कागजों में सिमट कर रह गई सफाई,

हैरानी की बात यह है कि नहरों की साफ-सफाई और क्रेक सही करने (मरम्मत कार्य) के नाम पर शासन की ओर से लाखों रुपये का बजट स्वीकृत होकर आया था. लेकिन सम्राट अशोक सागर परियोजना के अधिकारियों ने नहर चालू करने से पहले न तो साफ-सफाई कराई और न ही दरारों को दुरुस्त करने की जहमत उठाई. स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का सीधा आरोप है कि सफाई और मरम्मत की आड़ में आए लाखों रुपये के सरकारी बजट की बंदरबांट कर ली गई है. धरातल पर काम शून्य है, जबकि कागजों में मरम्मत पूरी दिखाई जा रही है. नहरों में उग आई लंबी-लंबी झाड़ियां और कचरे का अंबार अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल रहा है.

के किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि पुरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की

जाए. किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहरों की मरम्मत और सफाई नहीं की गई तो किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा. **किसानों ने कहा- करेंगे आंदोलन-**

सलामतपुर, सुआखेड़ी, सहित आसपास क्षेत्रों के सैकड़ों किसानों ने नहर की सफाई कराने की मांग की है, साफ सफाई नहीं कराई तो किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे.

24.59 करोड़ से बने 5 गेट और ब्रिज, पर व्यवस्थाएं सुस्त

एक तरफ जहां नहरों के मेंटेनेंस में घोर लापरवाही बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपये की लागत से बने बुनियादी ढांचे भी अधिकारियों की अनदेखी के चलते पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं. 24.59 करोड़ की लागत से हुआ है गेट निर्माण. बांध के ओवरफ्लो वाले स्थान पर 9 मीटर ऊंचे और 5 मीटर चौड़े पिलरों के बीच 5 स्वचालित/नियंत्रित गेट लगाए गए हैं. जलस्तर बढ़ने पर इन गेटों से 1750 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जिससे 28 गांवों के लगभग 2100 किसानों की 2400 हेक्टेयर खरीफ फसल को डूबने से बचाया जा सके. पहले बारिश के दिनों में नीनोद और कायमपुर गांव पूरी तरह टापू बन जाते थे. अब डाउन स्ट्रीम में बनाए गए 57.50 मीटर लंबे ब्रिज से लगभग 15 से 20 गांवों का आवागमन तो चालू रहता है और मरीजों व जरूरी सेवाओं के लिए भी रास्ता खुला रहता है. लेकिन मुख्य नहरों के रखरखाव में की जा रही लापरवाही के कारण परियोजना का मूल उद्देश्य (सिंचाई सुविधा) ही पटरी से उतरता नजर आ रहा है.

भरतीपुर में मारपीट,आरोपी पर केस दर्ज

मामूली विवाद को लेकर मारपीट, पुलिस ने की कार्रवाई

नवभारत न्यूज सलामतपुर, 22 अक्टूबर. सलामतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरतीपुर गांव में पुरानी रंजिश पर मारपीट का एक मामला सामने आया है. यहां फरियादी अर्जुन धानक (पिता लाल सिंह धानक, उम्र 22 वर्ष, निवासी भरतीपुर) के साथ गांव के ही कमलेश धानक की दुकान के पास आरोपी भारत सिंह धानक (पिता चुनीलाल धानक उर्फ खोटा, उम्र 52 वर्ष, निवासी भरतीपुर) द्वारा मारपीट की गई.

यह घटना 21 अक्टूबर की रात मुख्य मार्ग पर स्थित कमलेश धानक की किराना दुकान के सामने घटी. घटना के बाद घायल अवस्था में फरियादी को इलाज



के लिए शासकीय अस्पताल सांची ले जाया गया, जहाँ सलामतपुर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज की.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी भारत सिंह धानक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 296 (बी),

मामले की निष्पक्ष जांच हो रही

एसआई राजेश यादव ने बताया कि सलामतपुर थाना क्षेत्र के भरतीपुर गांव में मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत सज्जन लिया. घायल फरियादी की शिकायत पर शासकीय अस्पताल सांची में देहाती नाल्शी दर्ज कर आरोपी भारत सिंह धानक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है. पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

115(2), और 351(3) के तहत अपराध कायम किया गया है. पुलिस इस मामले की आगे की कानूनी जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है.

जन विश्वास अभियान शिविर आज

नवभारत न्यूज बेगमगंज, 22 अक्टूबर. ग्राम मरखेड़ा टप्पा में 23 अक्टूबर को जिला स्तरीय जन विश्वास अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा.

शिविर में जिला स्तर के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से आमजन को लाभान्वित करने एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कार्यवाही की जाएगी. शिविर

में स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के भूखंडों की रजिस्ट्री की जाएगी. साथ ही, आम नागरिकों से विभिन्न समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, जनपद पंचायत गैरतगंज अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.

बीएचईएल में एनएचपीसी के 22 अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू

विशेष संवाददाता भोपाल. बीएचईएल, भोपाल में हाइड्रो मशीनों की गर्वनिंग प्रणाली की विनिर्माण एवं परीक्षण सुविधाओं पर एनएचपीसी के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय ऑनसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक (हाइड्रो) जे. चटर्जी ने किया.

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक (एचपीई) मनीष साहू, अपर महाप्रबंधक (एचआरडी) एम.जी. ठकार तथा प्रशिक्षण संचाय सदस्य वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (एचपीई) विशाल नामदेव और तरुण कुमार कौशिक उपस्थित थे.

अपने संबोधन में जे. चटर्जी ने एनएचपीसी को बीएचईएल का महत्वपूर्ण ग्राहक और अंतिम उपयोगकर्ता बताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने, तकनीकी सहयोग मजबूत करने और उपकरणों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हैं. इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी कर व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया. मनीष साहू ने प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरणों का आपूर्ति में बीएचईएल, भोपाल के पांच दशकों से अधिक के अनुभव का उल्लेख किया. उन्होंने एनएचपीसी को त्वरित, सर्मापित और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

केरवा डैम के एफटीएल क्षेत्र में निर्माणों की जांच

- ▶ एनजीटी के आदेश पर गठित दल ने किया सीमांकन
- ▶ रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी निर्माणों की स्थिति

नवभारत संवाददाता भोपाल, 22 अक्टूबर. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के पालन में गुरुवार को केरवा डैम के पूर्ण जलभराव स्तर (एफटीएल) की सीमा में बने निर्माणों की जांच की गई.

इसके लिए गठित दल ने मौजूद

पर पहुंचकर सीमांकन किया और जलाशय क्षेत्र में मौजूद निर्माणों की स्थिति का जायजा लिया.शुरुआती जानकारी के अनुसार, जांच में बड़ी संख्या में निर्माण सामने आए हैं.इनमें मंत्री-विधायकों के साथ आईएस और आईपीएस अधिकारियों से जुड़े निर्माण होने की भी चर्चा है.हालांकि, इनकी आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

जांच दल ने केरवा डैम के निर्धारित जलभराव क्षेत्र में मौजूद

रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद दल अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपेगा.रिपोर्ट में निर्माणों की संख्या, उनकी स्थिति और नियमों के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.इसके आधार पर संबंधित विभाग आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं.फिलहाल, किसी निर्माण को अवैध घोषित करने या उसके खिलाफ कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी.

निर्माणों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल की.इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि एफटीएल सीमा के भीतर कितने निर्माण हैं और वे निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं या

नहीं.जलाशय क्षेत्र में निर्माणों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं.ऐसे में एनजीटी के आदेश पर की जा रही इस जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दो लोगों से 87 हजार की ठगी

कपड़ों की खरीदी नाम पर 37 हजार रुपये ऐंठे

विशेष प्रतिनिधि भोपाल, 22 अक्टूबर. ऑनलाइन ठगी के दो मामलों में साइबर जालसाजों ने दो युवाओं को निशाना बनाकर करीब 87 हजार रुपये की धोखाधड़ी की. कोलार रोड क्षेत्र में एक युवती को नौकरी के लिए नोट्स बनाने का काम देने का झांसा देकर 54 हजार रुपये से अधिक ऐंठ लिए गए. वहीं, कजलीखेड़ा क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर कपड़ों का विज्ञापन देखकर ऑर्डर करने वाले युवक से 32,989 रुपये की ठगी हुई.

पुलिस के अनुसार, कोलार रोड स्थित गर्ल्स होस्टल में रहने वाली 21 वर्षीय शुभांश्री गेडाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं. 11 अक्टूबर को उन्हें नोट्स बनाने के काम के सिलसिले में

एक व्यक्ति ने संपर्क किया. उसने पहले 500 रुपये पंजीयन शुल्क मांगा. इसके बाद अलग-अलग शुल्क के नाम पर पैसे जमा कराए. युवती से पंजीयन, अन्य शुल्क, सामान पहुंचाने, राशि निकालने और जीएसटी के नाम पर छह बार भुगतान कराया गया. इस तरह उनके खाते से कुल 54,626.41 रुपये ट्रांसफर हो गए. ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. कोलार रोड पुलिस मामले की जांच कर रही है. दूसरे मामले में कजलीखेड़ा निवासी 21 वर्षीय अनुग्रह सरकार ने 15 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर कपड़ों का विज्ञापन देखा. इसके बाद विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर वॉट्सएप के जरिए संपर्क किया.

- ▶ भोपाल मास्टर प्लान-2047 का विरोध तेज
- ▶ मिसरोद में 45 मीटर चौड़ी सड़क हटाने की मांग

नवभारत संवाददाता भोपाल, 22 अक्टूबर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप को लेकर किसानों और स्थानीय रहवासियों का विरोध तेज हो गया है. गुरुवार को मुगालिया छाप के किसानों ने खेती की जमीन बचाने के लिए पैदल मार्च किया, जबकि मिसरोद के रहवासियों ने पुरानी आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क का विरोध किया.

दोनों पक्षों ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सामने आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि विकास योजना बनाते समय



लोगों के घर, आजीविका, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थावर और पर्यावरण का ध्यान संरक्षा चाहिए. मुगालिया छाप के किसानों का आरोप है कि मास्टर प्लान के प्रारूप में 66 गांवों की कृषि भूमि को भोजलाय संरक्षण क्षेत्र-1 और क्षेत्र-2, नदी किनारा विकास, वन क्षेत्र, हरित पट्टी सहित अन्य आरक्षित श्रेणियों

में शामिल करने का प्रस्ताव है.इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित हो सकती है.किसान अपनी आपत्तियां दर्ज कराने विभाग के कार्यालय जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने नीलबड़ में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इससे नाराज किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की. किसान

अनोखी सिंह पटेल ने कहा कि खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है.जमीन के उपयोग में बदलाव से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है.किसानों ने कृषि भूमि को खेती के लिए सुरक्षित रखने और प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने की मांग की.किसानों ने दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा एक महीने बढ़ाने की मांग की, ताकि प्रभावित लोग योजना को समझकर अपनी बात रख सकें. मिसरोद के रहवासियों ने खसरा नंबर 205 से पुरानी आबादी के बीच प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क हटाने की मांग की.उनका कहना है कि सड़क बनने से पुराने मकानों और सैकड़ों परिवारों पर असर पड़ सकता है.साथ ही प्राचीन मंदिरों और गांव के सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप को नुकसान

पहुंचने की आशंका है.रहवासियों ने शासकीय अस्पताल, सेवा सहकारी समिति, लोक निर्माण विभाग के विश्राम गुह, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यालय और पाटीदार समाज के सामाजिक एवं मांगलिक परिसर को सुरक्षित रखने की मांग की.उन्होंने 10 से 15 पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों को बचाने पर भी जोर दिया.

रिपोर्ट भेजी गई है

प्रारूप पर आपत्तियों और सुझावों के लिए 30 दिन तथा सुनवाई के लिए 60 दिन निर्धारित हैं.किसानों की समयसीमा बढ़ाने की मांग सक्षम अधिकारियों के पास भेजी जाएगी.अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होगा.

इंदु त्रिपाठी, संयुक्त संचालक, टीएसपी

महाविद्यालय बाड़ी में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता

विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने बांटे पुरस्कार और प्रमाण पत्र

नवभारत न्यूज बाड़ी,22 अक्टूबर. शासकीय महाविद्यालय बाड़ी में गुरुवार को महाशक्ति व्यायामशाला, बाड़ी में जिला स्तरीय कुश्ती(पुरुष) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

जिसमें स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय रायसेन, शासकीय महाविद्यालय बरेली, शासकीय महाविद्यालय बाड़ी की टीम ने भी भाग लिया. जिसमें विजेता आर्यन (स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रायसेन) रहे एवं उपविजेता पवन (शासकीय महाविद्यालय बरेली) रहे.

चयन समिति में सोम प्रकाश सिंह (शासकीय विधि



महाविद्यालय रायसेन), फ़हीम कुरैशी (शासकीय महाविद्यालय सुल्तानपुर) एवं अब्बास खान (स्वामी विवेकानंद महा. रायसेन) सम्मिलित हुए. पर्यवेक्षक कविता कुशवाहा रहें. विजेता को प्राचर्य ममता खोइया द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए एवं क्रीड़ा

अधिकारी संग्राम सिंह द्वारा कुश्ती (पुरुष) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में महाविद्यालय के अरुण पटेल, पुष्पेंद्र सिंह सिकरवार, रामगोपाल, रागिनी नागर, श्रद्धा चौहान एवं हरिसिंह एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.